भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र : वरदान या अभिशाप

Dr. Sandeep Kumar Agrawal

Asst. prof. Dept. Of Commerce

Handia P.G. College Handia, Prayagraj

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत आर्थिक रूप से काफी संघर्ष कर रहा था। देश को आर्थिक सुदृणता प्रदान करने के लिए निर्यात संवर्धन को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता थी। निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में सबसे बड़ी रुकावट विदेशी पूंजी निवेश, आधारभूत संरचना, अकुशल श्रम तथा उच्च निर्माणी लागत पर विदेशी बाजारों योग्य गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पादन न हो पाना जैसी समस्याएं थी जिसके कारण भारतीय निर्यातक विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना नही कर पा रहे थे। इस स्थिति से भली भांति परिचित भारत सरकार लगातार सुधार हेतु प्रतिबद्ध थी इसी प्रयास में सन 1965 में कांडला में एशिया का पहला EPZ (एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन) प्रारम्भ किया जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक रियायतें दे कर विदेशी पूंजी निवेश करवाना तथा देश के विदेशी व्यापार को सम्रद्ध बनाना था परंतु नियंत्रण एवं मंजूरियों की विविधता, विश्वस्तरीय अवसंरचना का अभाव और एक अस्थिर वित्तीय व्यवस्था के कारण यह अधिक प्रभावी नही सिद्ध हो सका। परिणामस्वरूप, आने वाली समस्याओं का सामना करने तथा भारत में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये सरकार ने अप्रैल 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की तथा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के पश्चात 10 फरवरी 2006 को विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पूरे भारत में लागू किया गया।

सेज अधिनियम के लागू होने के पश्चात इसका लाभ लेने वाले उधोगपतियों को सेज विकासकर्ता के नाम से संबोधित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सेज़ विकासकर्ताओं को भारत में उधोग स्थापित करने हेतु सस्ती दर पर भूमि, बिजली, पानी आदि उपलब्ध कराया गया उन्हें सरकार ने अपनी गारंटी पर

ब्याजमुक्त अथवा नाम मात्र के ब्याज पर ऋण प्रदान किया ताकि काम लागत पर गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन किया जा सके। विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संबंधित मामलों में सिंगल विंडो मंजूरी प्रदान की गई।

सेज की स्थापना किसी भी निजी, सार्वजनिक अथवा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जा सकती है, इसके साथ ही विदेशी कम्पनियों को भी इसकी स्थापना की अनुमति प्रदान की जाती है उत्तर प्रदेश में नोएडा, पश्चिम बंगाल में फाल्टा, गुजरात में काण्डला एवं सूरत, महाराष्ट्र में शालारू, तमिलनाडु में चेन्नई, आन्ध्र प्रदेश में बिशाखापत्तनम आदि सेज के उदाहरण हैं ।

पश्चिम बंगाल में नन्दीग्राम एवं टाटा नैनो परियोजना के साथ सिंगुर में हुए हादसे के कारण परियोजना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, बावजूद इसके आज इसका देशभर में व्यापक विस्तार किया जा रहा है ।

आज चीन अपने मात्र छः एसईजेड के बल पर विश्व का दूसरा सबसे बढ़ा निर्यातक देश बन गया है । हालाँकि भारत में चीन के सबसे बड़े सेज शेन्चेन, जो लगभग 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, की तरह विस्तृत भू-भाग वाली किसी भी सेज परियोजना को अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण करना आसान कार्य नहीं है ।

भारत में सेज का प्रारूप तथा सेज विकासकर्ताओं को प्रदान की गई रियायतें-

विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु भूमि का चयन सरकार द्वारा किया जाएगा यह भूमि का एक विशाल टुकड़ा होगा जिसमें एक साथ अनेक सेज स्थापित किये जा सकेंगे। एक सेज कम से कम 1000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि पर बना होगा जिसका स्वामी उस स्थान पर उद्योग लगाने वाला पूँजीपति या बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी। इस स्थान पर

निर्माण के साथ साथ आवश्यक वस्तुओ की खेती भी की जा सकेगी। सेज एरिया में सभी प्रकार की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्कूल, हॉस्पिटल, होटल ,हवाई अड्डा, आई0 टी0 पार्क इत्यादि भी बनाये जायेगे।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में व्यापार प्रारम्भ करने वाले प्रत्येक विकासकर्ता को भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष छूट अथवा रियायतें प्रदान की गई है जो इस प्रकार हैं-

- सेज विकासकर्ता को उसके द्वारा कमाई गयी आय पर 100% आयकर से छूट प्रदान की जाएगी।
- सेज विकासकर्ता द्वारा आयातित कच्चा माल या घरेलू संसाधनों के उपयोग पर कोई टैक्स नही लगाया जाएगा।
- सेज विकासकर्ता सेवा कर, बिक्री कर, आई0 जी0 एस0 टी0, एस0 जी0 एस0 टी0 आदि से छूट पा सकेंगे।
- सेज विकासकर्ता को सेज में निवेश की गई राशि के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 88 के अंतर्गत कटौती प्राप्त होगी।
- सेज विकासकर्ता रियायती दर पर भूमि, बिजली, पानी, ऋण प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- सेज विकासकर्ता किसी भी बैंक से सरकार की गारंटी पर ऋण प्राप्त कर सकेगा तथा व्यापार में घाटा होने पर उसके ऋण का भुगतान सरकार अपने पास से करेगी।

भारत में सेज अधिनियम लागू होने के बाद अब तक 412 सेज को औपचारिक मंजूरी दी गयी है जिसमे से 329 सेज नोटिफाइड हो चुके हैं। इन सेज के अंतर्गत 4102 यूनिट स्थापित हो चुकी हैं। 30 जून 2015 तक 1504597 लोगो को रोजगार प्रदान किया गया है तथा 463770 करोड़ रुपये का निर्यात किया जा चुका है।

सेज के प्रारंभिक वर्ष 2005-06 में 22840 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जिसमें अगले वर्ष 2006-07 में 52% की वृद्धि दर्ज की गई और निर्यात 34615 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद वृद्धि दर में उतार चढ़ाव आता रहा और सन 2013-14 तक वृद्धि का सिलसिला बरकरार रहा परंतु वर्ष 2014-15 में व्रद्धि दर में 6.13% की गिरावट दर्ज की गई लेकिन उसके बाद फिर धीमी गति से निर्यात में वृद्धि दृष्टिगत हुई और वर्ष 2017-18 में 266773 करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया जो वर्ष 2016-17 के मुकाबले 13.39% अधिक रहा।

सेज से लाभ:

- देश के 4 करोड़ से अधिक पंजीकृत बेरोजगारों के लिए सेज के द्वारा रोजगार के अवसर सृजित होंगे क्योंकि आधारभूत संरचना के निर्माण में ही कुशल एवं अकुशल मजदूरों को रोजगार प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे साथ ही इकाइयों के निर्माण के बाद उनमे काम करने के लिए लाखों की संख्या में मानवीय श्रम की आवश्यकता होगी जो रोजगार प्रदान करने का बड़ा माध्यम साबित होगा।
- आकर्षक रियायतों, आसानी से अनुमति, सिंगल विण्डो सिस्टम तथा बिना गारंटी के ऋण आदि योजनाओं के कारण विदेशी उद्यमियों को भारत में आ कर व्यवसाय करने की अभिप्रारणा प्राप्त होंगी साथ ही साथ भारत के 70% आबादी वाले अछूते ग्रामीण बाजार में अपने उत्पाद के विपणन करने का लालच भी विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करेगा।
- चौतरफा विकास (अर्थात पूंजी निवेश, आधारभूत संरचना, रोजगार के अवसर तथा सामाजिक उत्थान) के कारण देश की आर्थिक संवृद्धि दर में भी वृद्धि होगी जिस लाभ देश के अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक पहल करेगा।

लगातार बढ़ते निर्यात, विदेशी पूंजी निवेश के कारण भारतीय विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि दर्ज होगी जो विश्व स्तर पर भारत को मजबूती प्रदान करेगा।

सेज का विरोध:

सेज पर बुद्धिजीवी दो हिस्सों में बंटे नजर आते हैं क्यों कि जहां एक ओर सेज से भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार की आशा की जा रही हैं वहीं दूसरी ओर किसान इसका व्यापक विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिंगूर जिले में टाटा द्वारा प्रस्तावित सेज के मिरमं को किसानों के व्यापक विरोध के कारण रद्द करना पड़ा जो कि ऐसे विरोध का एक ज्वलंत उदाहरण हैं। यदि सेज के कई फायदे हैं तो सिक्के के दूसरे पहलू ला अध्धयन करने पर इसके कुछ दुष्प्रभाव भी दृष्टिगत होते हैं-

- कृषि भूमि का अधिग्रहण होने के बाद किसानों के समक्ष आजीविका हेतु रोजगार के अवसर की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं।
- हर जगह किसानों को उनकी भूमि का उनके हिसाब से उचित मूल्य नही मिल पा रहा हैं।
- भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था नही हो पा रही हैं।
- भारत के क्षेत्रफल का केवल 43% भूभाग ही कृषि योग्य है ऐसे में यदि इसमे से एक बड़ा हिस्सा सेज को दे दिया जाता हैं तो भारतीय खाद्दन उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसका परिणाम खाद्दान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता समाप्त हो सकती है जो कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए उचित नही होगा।
- सेज के अंदर निर्माण की जा रही वस्तु की लागत विभिन्न प्रकार की रियायतों के कारण काफी कम होती हैं जबकि सेज के बाहर उन्ही वस्तुओ के निर्माण की लागत कई गुना अधिक होती है फलस्वरूप छोटे उद्यमी समाप्त हो जाएंगे क्योंकि कीमत युद्ध (प्राइस वॉर) मसीन वो सेज के उद्यमी के आगे टिक नही पाएँगे।

अंततः-

योजनाओ का उद्देश्य देश का सर्वांगीड़ विकास होना चाहिए न कि किसी एक क्षेत्र का सुधार। यदि किसी योजना से एक क्षेत्र का उद्धार हो रहा हो परंतु अन्य क्षेत्रों को उससे नुकसान पहुचे तो निश्चित ही उस योजना में सुधार की आवश्यकता हैं। यदि औधोगिक विकास के लिए सेज आवश्यक है तो उसकी कीमत देश के किसान नही हो सकते हैं।

नियमो का सही तरीके से प्रयोग कर के इस समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देश का 24% भूभाग बंजर एवम अनुपजाऊ है यदि ऐसे भूभाग का प्रयोग सेज के लिए किया जाय तो कृषि योग्य भूमि भी बची रहेगी और बंजर भूमि का सदुपयोग हो सकेगा।

इसका दूसरा परोक्ष लाभ यह होगा कि देश की लगभग 52% श्रमशक्ति कृषि अथवा कृषि से जुड़े कार्यो से अपनी आजीविका चलती है। कृषि भूमि का अधिग्रहण न होने पर उस 52% श्रमशक्ति को कही और जा कर रोजगार नही तलाशना होगा और सेज द्वारा नए रोजगार के सृजित अवसर बचे हुए बेरोजगारों को रोजगार परक बना सकेगें।

सतर्कता से योजनाओ का क्रियांवयन ही योजनाओं को वरदान बना सकता है अन्यथा योजनाएं अभिशाप बन कर रह जाएंगी और इसके लिए योजनाओं के प्रत्येक पहलुओं ओर गंभीरता से विचार करके निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि देश औद्योगिक विकास के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर बना रहे और वर्ग संघर्ष का उदय न होने पाएं।

संदर्भ-

- www.hindilibraryindia.com
- www.drishtiias.com
- www.sezindia.nic.in

- Arvind Pana gariya, India: The Emerging Giant (New Delhi, 2008)
- India Today, October 9,2006
- The Times of India, April 21, 2015